हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

पदमचन्द बगै0 बनाम रामोतार बगै0 अपील सं0 21/2020

	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
021		

अपीलांट अभिभाषक उपस्थित। अपील वाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील अन्तरिम आदेश के विरूद्व पेश की गयी है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गयी।

विद्वान अपीलांट एड0 ने बहस अन्तरिम स्थगन प्रार्थना पत्र में अपील के वर्णित तथ्यों को दौराते हुए बताया कि राजस्व ग्राम जाहरा की खाता संख्या 416 में अंकित कृषि भूमि ख.नं. 1848 रकबा 0.98 है0, ख.नं. 1920 रकबा 1.78 है0, ख.नं. 1928 रकबा 1.55 है0, ख.नं. 583 रकबा 0.44 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.75 है0, में अपीलांट संख्या 01 का 1/8 हिस्सा एवं अपीलांट संख्या 02 का 1/24 हिस्सा रिर्कोडेड खातेदार काश्तकार राजस्व जमाबंदी में दर्ज है। रेस्पो0 का विवादित भूमि से दूर–दूर तक कोई सम्बंध नहीं है। रेस्पो0 लट्ठ के जोर पर अपीलांट के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण करके निर्माण करने के लिए प्रयत्नशील होने के कारण अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रलेखीय साक्ष्य तथा अपी0 का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति अपी0 के पक्ष में सिद्ध होते हुये भी अपना आदेश गलत रूप से पारित किया है। जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पो0 को ताफैसला वादपत्र इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें कि वाके ग्राम जाहरा तहसील बामनवास की खाता संख्या 416 में अंकित आराजीयात कृषि भूमि ख.नं. 1848 रकबा 0.98 है0, ख.नं. 1920 रकबा 1.78 है0, ख.नं. 1928 रकबा 1.55 है0, ख.नं. 583 रकबा 0.44 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 4.75 है0 किस्म नहरी दयोम के किसी भी हिस्से में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य नहीं करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस व प्रस्तुत तर्को पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 18:55:37 IST
Reason: SelfAttested

चूकि: अपील अन्तरिम आदेश दिनांक 22.07.2020 के विरूद्व पेश की गई है। जिसमें उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये शीघ्र निर्णय किया जाना आवश्यक है। अतः अधिनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर

Scanned with CamScanner

ग्रामनवास को निर्देशित किया जाता है कि उनके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2020 उनवानी पदमचंद वगै0 बनाम रामोतार में सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुय यथासंभव प्रकरण का निस्तारण एक माह में करें। पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2022.01.25 13:55:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner